समाचार पत्र

वट वृक्ष

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं), कोलकाता

अक्टूबर-दिसंबर 2023

महानिदेशक की कलम से

प्रिय पाठक,

मुझे दिसंबर 2023 की समाप्ति पर वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही हेतु समाचार-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आवरण पृष्ठ पर हावड़ा ब्रिज की तस्वीर है, जो एक तैरता हुआ पोंटून ब्रिज है जिसे अक्टूबर 1874 में खोला गया था तथा इसके प्रबंधन एवं देखरेख के लिए इसे बंदरगाह आयुक्त को सौंप दिया गया। इसे स्वर्गीय श्रीमान ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने डिज़ाइन किया था तथा इसकी कुल लंबाई 1528 फीट है जिसमें 48 फीट की सड़क और 7 फीट का दो पैदल मार्ग है। इसकी पूरी बनावट कंक्रीट के बने मज़बूत मोनोलिथ के मुख्य खंभों पर रखी गई जिसके किनारे पर स्टील की छत हैं। कलकत्ता के साइड में मोनोलिथ और ग्राइंडर की गहराई 103 फीट है तथा हावड़ा साइड में इसकी गहराई 88 फीट हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिन की गर्मी में पुल लगभग 4.8 इंच चौड़ा हो जाता है और रात में उसी अनुपात में सिकुड़ भी जाता है। इसकी एक और विशिष्टता यह भी है कि तेज़ हवा बहने पर पुल थोड़ा झुक जाता है तथा इसका ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि भूकंप आने पर यह उसका सामना कर सकें।

हमारे उपयोगकर्ता कार्यालयों के निरंतर समर्थन से, हम अपने प्रशिक्षण जनादेश को प्राप्त करने की दिशा लगातार प्रयासरत है। इस तिमाही में, हमने एमसीटीपी लेवल-3 और एमसीटीपी लेवल-2 के पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया। सीजीएलई 2021 बैच के सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण का समापन 19 दिसंबर, 2023 को हुआ।

उत्कृष्टता की अनवरत तलाश में, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता ने रेलवे खातों की लेखापरीक्षा और संचयी खातों की भूमिका पर एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ये पहल हमारे विभाग और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उच्चतम मानकों को बनाए रखने में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संकाय सदस्य उपलब्ध कराने के लिए भा.ले.व.ले.वि. के कार्यालयों तथा बाह्य संगठनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। हम भविष्य में भी आपसे निरंतर सहयोग की आशा रखते हैं।

इस समाचार पत्र के माध्यम से हम अपने पाठकों को क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के प्रदर्शन और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार-पत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम पाठकों से प्राप्त निविष्टियों (इनपुट) तथा क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री में सुधारो/संशोधनो हेतु विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। आप rtikolkata@cag.gov.in साइट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं।

अनादि मिश्र
महानिदेशक

क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता

विषयसूची	
विवरण (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023)	**पृष्ठ संख्या**
(क)महत्वपूर्ण दिनों, बैठकों और पाठ्येतर गतिविधियों का अनुपालन	**3**
(i) राष्ट्रीय एकता दिवस, 2023	**3**
(ii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023	**4**
(iii) तीसरा लेखापरीक्षा दिवस, 2023	**5**
(ख) प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	**7**
(i) सीजीएलई 2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए चरण- I के भाग- I का प्रशिक्षण।	**7**
(i) सीजीएलई 2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए चरण- I के भाग- II का प्रशिक्षण।	**10**
(ग) मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	**14**
(i) एमसीटीपी-स्तर-3 का प्रशिक्षण	**14**
(ii) एमसीटीपी-स्तर-2 का प्रशिक्षण	**17**
(घ) ज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023)	**19**
(i) रेलवे खातों की लेखापरीक्षा और संचयी खातों की भूमिका पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	**19**
(ii) संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम)/केस स्टडीज की तैयारी	**21**
(ड़) सामान्य प्रशिक्षण	**22**
(i) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा	**22**
(ii) कार्यालयी प्रक्रिया, कानूनी मामले और अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामले	**25**
(iii) भारतीय लेखा मानकों पर संगोष्ठी	**28**
(iv) तिमाही के दौरान आयोजित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	**30**
(च) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण	**36**
(i) एमएस एक्सेल की एडवांस ट्रेनिंग	**36**
(ii) पावर बीआई डेस्कटॉप प्रशिक्षण से डाटा विश्लेषण	**38**
(iii) अन्य आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम	**41**
(छ) उपयोगकर्ता कार्यालयों की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और इन-हाउस प्रशिक्षण/बैठकों के संचालन के लिए उपयोगकर्ता कार्यालयों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान किए गए।	**43**
(ज) उपयोगकर्ता कार्यालयों तथा भा.ले.व.ले.वि. के बाह्य कार्यालयों को प्रशिक्षण दिया गया।	**43**
(झ) प्रश्नोत्तरी	**46**
(ञ) प्रश्नोत्तरी के उत्तर	**49**

(क) क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं,कोलकाता ने योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण दिनों, बैठकों और पाठ्येतर गतिविधियों का अनुपालन किया गया (अक्टूबर से दिसंबर 2023)

(i) क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।

प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह विशेष अवसर हमें हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है, जिसमें हम एक मजबूत और संयुक्त भारत के मूल्यों को बनाए रखते हैं। देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभभाई पटेल के अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु भारत सरकार ने 2014 से सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

2014 में उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को एकीकृत करने में सरदार पटेल के अथक प्रयासों को उजागर करना था।

राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सरदार पटेल के योगदानों के बारे में जागरूकता फैलाना और पूरे देश में एकता

को बढ़ावा देना है। इस दिन से हमें एकता, अखंडता और सुरक्षा के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति को पुनः पुष्ट करने का अवसर मिलता है। क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों तथा प्रशिक्षुओं और संकाय सदस्यों ने इस अवसर पर शपथ लिया जो हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह शपथ राष्ट्रीय एकता और सार्वभौमिकता बनाए रखने में हमारे संकल्प को पुन: पुष्ट करता है

(ii) 30 अक्टूबर से 05 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ ग्रहण में भाग लिया।

देश के व्यापक विकास हेतु प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की शीर्ष सत्यनिष्ठा संस्था के रूप में कार्यरत, केंद्रीय सतर्कता आयोग लोक-प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न अभियान चलाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियोजित एक ऐसा माध्यम है जिसे भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह वार्षिक कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (31 अक्टूबर) वाले सप्ताह में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में आयोग ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन का निर्णय लिया जिसका विषय था " भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"।

संस्थान के परिसर में "भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" का बैनर लगाया गया तथा सतर्कता जागरूकता संबंधी पोस्टर भी पूरे संस्थान में प्रदर्शित किए गए।

(iii) तृतीय लेखापरीक्षा दिवस समारोह का आयोजन।

लेखापरीक्षा दिवस उस दिन की याद दिलाता है, जब 1860 मे पहली बार भारत में महालेखा परीक्षक ने पदभार ग्रहण किया था यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भूमिका के व्यापक दायित्वों को समाहित करने तथा लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करने के विकास का प्रतीक है। यह समारोह संस्थान के सभी सदस्यों को **'लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा'** के सिद्धांतो का पालन करने का स्मरण कराता है जो जनकल्याण हेतु सत्यनिष्ठा का मार्ग है। यह समारोह सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्राधिकरण के रूप में हितधारकों के साथ अच्छे व्यवहार बनाने और नागरिकों के प्रति समर्पित सेवा का संकल्प व्यक्त करने तथा सद्व्यवहारों, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और उच्च व्यावसायिक मानकों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता का अवसर प्रदान करता है।

नई दिल्ली में आयोजित तृतीय लेखापरीक्षा दिवस समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि थीं, उन्होंने इस अवसर पर सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय को लेखापरीक्षा में ईमानदारी, सुशासन बढ़ाने तथा प्रणाली विकसित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदानों को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने सीएजी के प्रगतिशील पहलों की सराहना की, जिनमें डाटा प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र की स्थापना शामिल है तथा उन्होंने भारत की विकास यात्रा में सीएजी के पूरे टीम को उनके अमूल्य योगदान के लिए रेखांकित किया।

नैतिक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण बताते हुए, उन्होंने लेखापरीक्षकों द्वारा सुशासन और मार्गदर्शन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने विश्व समुदाय में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान 20 (एस.ए.आई. 20) जैसे मंचों की सराहना की, जहाँ नीली अर्थव्यवस्था और उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में अग्रसर है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखापरीक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों ने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तृतीय लेखापरीक्षा दिवस समारोह में भाग लिया।संस्थान ने स्वच्छता अभियान के तहत 25 नवंबर 2023 को नदी सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रम के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल,कोलकाता और पर्यावरण पुन-स्थापन पर केंद्रित गैर सरकारी संगठन, रिवर रेंजर्स के साथ सहयोग किया। श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता और अन्य अधिकारियों ने नदी स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सीजीएलई-2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) और संस्थान के अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। 26 नवंबर 2023 को कार्यालय

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता द्वारा एक लेखापरीक्षा दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संगठन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस संस्थान के अधिकारियों और सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) प्रशिक्षुओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया ।

क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी श्री उज्ज्वल बोस ने 29 नवंबर 2023 को लेखापरीक्षा दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया तथा रवींद्रनाथ टैगोर की कविता "अभिसार" का पाठ किया।

तृतीय लेखापरीक्षा दिवस 2023 के अवसर पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के संकाय सदस्यों और प्रशिक्षुओं ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

(ख) प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023)

(i) सीजीएलई 2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए चरण-I के भाग-I का प्रशिक्षण 25 सितंबर से 04 नवंबर, 2023 तक आयोजित किया गया।

सीजीएलई 2021 बैच के सीधे भर्ती हूए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए चरण-I के भाग-1 का प्रारंभिक प्रशिक्षण 25 सितंबर 2023 से आरंभ हुआ। प्रशिक्षण में सीधी भर्ती हूए 13 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण में, प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य अभ्यर्थियों को अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन किया गया ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके।

पाठ्यक्रम संरचना में अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। इसके विषयवस्तु में विभिन्न रेलवे कोड, वित्तीय नियमों, लेखा मानकों और लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों पर विस्तृत चर्चा शामिल थी। प्रशिक्षण में यातायात लागत, वित्तीय लेखा, लागत लेखा और आईटी नियंत्रण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को कानूनी मामलों, सरकारी लेखों और लेखापरीक्षा के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त हुई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से भाषा कौशल, तार्किक क्षमता, मात्रात्मक अभियोग्यता, सूचना प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और व्यावहारिक उपयोग को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण दिया गया।

सिद्धांत और व्यावहारिक अनुप्रयोग विषयवस्तु का विस्तृत समावेश प्रतिभागियों के ज्ञान और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया, जो अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय था।

प्रशिक्षण अनुभव को संवर्धित करने के लिए, भारतीय रेलवे के संकाय सदस्यों को रेलवे से संबंधित विषयों की गहन जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। विभिन्न भा.ले.व.ले.वि कार्यालयों और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान जैसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक संगठनों से उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था।

चरण- I के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाह्य संकाय सदस्यों में श्री सुरेश प्रसाद सिंह, कार्यकारी अभियंता/योजना, भारतीय रेलवे, श्री कार्तिक सिंह, उप

सीसीएम/जी/मुख्यालय, पूर्व रेलवे, कोलकाता, श्री सतीश एम, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सुश्री तान्या अंबष्ठ, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उड़ीसा, भुवनेश्वर, श्री शिखर बेहरा, उप. सीएमई, भारतीय रेलवे, श्री एहतेशाम अहमद, वाणिज्यिक निरीक्षक, रेल परिवहन संस्थान, सिनी, श्री रतन साहा, वरिष्ठ एसओ (प्र.), कार्यालय, एफ.व.सीओ, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, श्री गौतम रॉय, पूर्व-एएफए/ गुड्स-II/टीए, भारतीय रेलवे, श्री अरिजीत चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री प्रणव कुमार सिकदर, संकाय, आईसीएआई-सीएमए, सुश्री मीता रॉय, एएफए/बी.व.बी और पीएफए के सचिव, भारतीय रेलवे, श्री विकास कुमार मोहंती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री जॉयदेब चक्रवर्ती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री संदीप कोनार, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह), पश्चिम बंगाल, श्री हेमन्त कुमार पाल, आईटी विशेषज्ञ ने अपने अनुभव साझा किए। उनकी भूमिका और ज्ञान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध बनाया, जिससे प्रतिभागियों को व्यापक तथा संपूर्ण रूप से सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ।

बाह्य संकाय सदस्यों के अतिरिक्त, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता के इनहाउस संकाय सदस्यों में श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रंजन दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपक कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री परिजात सैकिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पूनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन किया।उन्होंने प्रशिक्षुओं के सीखने के अनुभव को उल्लेखनीय रूप से समृद्ध बनाया।

श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता सीजीएलई 2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने सत्र के दौरान

(ii) सीजीएलई 2021 बैच के *सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ)* के लिए चरण-I के भाग-II का प्रशिक्षण *06* नवंबर से 19 दिसंबर, 2023 तक आयोजित किया गया।

सीधे भर्ती हूए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सी.भ.स.ले.प.अ) के लिए चरण-I के दूसरे भाग का प्रारंभिक प्रशिक्षण 06 नवंबर 2023 से आरंभ हुआ।

चरण II के प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु अभ्यर्थियों को विभाग की विस्तृत जानकारी प्रदान करना, उनके प्रशासनिक और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना तथा नव-नियुक्त कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण करना था। इसका उद्देश्य सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाना, प्रेरित करना, कौशल और ज्ञान का उन्नयन करना, साथ ही सामान्य और क्षेत्र-विशिष्ट दक्षताओं का निर्माण करना था।

इस व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सार्वजनिक खरीद नियम, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, सूचना का अधिकार अधिनियम और भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों के कामकाज का अवलोकन जैसे- यांत्रिक विभाग, विद्युत विभाग, वित्त विभाग मॉड्यूल को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में चिकित्सा उपस्थिति नियम, सांख्यिकीय नमूनाकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं जैसे आवश्यक विषयों पर भी चर्चा की गई, इस प्रशिक्षण से सीखने का अनुभव काफी अच्छा रहा।

वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं जिनमें भारतीय रेलवे की वित्तीय संहिता और सरकारी लेखा मानक को शामिल किया गया जिससे वित्तीय विवरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के व्यापक ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी शामिल किया।

प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए, पाठ्यक्रम में डाटा विश्लेषण, आईटी लेखापरीक्षा तथा एक्सेल और आईडीईए जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक वातावरण में इसके महत्व को देखते हुए प्रशिक्षण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, टीम वर्क, संचार और नेतृत्व जैसे सॉफ्ट स्किल्स को शामिल किया गया।

व्यापक निहितार्थ वाले विषय जैसे पर्यावरण के बारे में जागरूकता और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया । प्रशिक्षण में समसामयिक मुद्दों जैसे- राष्ट्रीय पेंशन योजना, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति को शामिल किया गया।

पाठ्यक्रम की संरचना का उद्देश्य प्रतिभागियों की मानसिकता में वृद्धि करना, जिसमें उनके व्यावसायिक जीवन में प्रतिबद्धता, अखंडता और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन यात्रा, समूह प्रस्तुतियाँ और मूल्यांकन परीक्षण पाठ्यक्रम को शामिल किया गया।

प्रशिक्षण के अनुभव को बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठित बाह्य संकाय सदस्यों ने प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा की। प्रतिष्ठित विशेषज्ञों में श्री अनिंद्य दासगुप्ता, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), हैदराबाद, श्री राज राजेश, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, न्यायमूर्ति शांतनु गांगुली, अपर सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा, सुश्री अजंता दे, संयुक्त सचिव और कार्यक्रम निदेशक, प्रकृति पर्यावरण और वन्यजीव सोसायटी, डॉ. पापिया उपाध्याय, सहायक प्रोफेसर, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, सुश्री नंदिनी भट्टाचार्य, पूर्व-एडीपी, दूरदर्शन (प्रसार भारती), श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, मोहम्मद अशरफ जे.एस, निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्टरी), कोलकाता, श्री रोहित माणिकराव गुट्टे, उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली, श्री सतीश एम., उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री आलोक सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री शिखर बेहरा, भारतीय रेलवे में उप सीएमई, श्री कृष्ण चंद्र कुंडू, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय,

महालेखाकार (ले.व.ह) पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री विकास कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री कंचन कुमार कुंडू, उप मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त), दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री अभिजीत रे, उप एफए एवं सीएओ/कॉन-I, भारतीय रेलवे, डॉ. सजल कुमार सुराल, सेवानिवृत्त एक्सईएन, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री कार्तिक सिंह, उप सीसीएम/जी/मुख्यालय, पूर्व रेलवे, कोलकाता, डॉ. उज्जयिनी मुखोपाध्याय, प्रधानाचार्य, ईस्ट कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज, कोलकाता, सुश्री रितुन्शा लालवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रमाणित आंतरिक लेखापरीक्षक, मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक, श्री सुब्रत मित्रा, सहायक निदेशक, सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी, श्री. अरिजीत घोष, फ्रीलांसर, श्री संदीप कोनार, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सुश्री तरणजीत कौर चौहान, आईसीबीआई में मुख्य सशक्तिकरण कोच और श्री गिको रॉय, वैदिक योग पीठ में योग प्रशिक्षक। इन विशेषज्ञों ने व्यक्तित्व विकास और विभिन्न प्रशासनिक एवं लेखापरीक्षा विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

बाह्य संकाय सदस्यों के अतिरिक्त, इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रंजन दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपक कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पारिजात सैकिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने प्रतिभागियों के लिए समग्र प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए प्रशासनिक, आईटी और लेखापरीक्षा विषयों पर सत्र आयोजित किए।

श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता सीजीएलई 2021 **बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) प्रशिक्षुओं के साथ**

(ग) मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (अक्टूबर से दिसंबर **2023)**

विभाग में एक निश्चित अवधि तक सेवा प्रदान करने वाले वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2021 से शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे व्यवसायिक, निष्पक्ष और कुशल अधिकारी तैयार करना है जो विभाग की आवश्यकताओं के प्रति सजग हो। एमसीटीपी यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान, क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में निम्नलिखित एमसीटीपी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

(i) एमसीटीपी स्तर-3 का प्रशिक्षण 28 नवंबर से 05 दिसंबर 2023 तक निर्धारित किया गया।

एमसीटीपी लेवल-3 का प्रशिक्षण विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन्होंने वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर न्यूनतम बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। नवंबर/दिसंबर 2023 में, एमसीटीपी लेवल-3 का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

28 नवंबर से 05 दिसंबर, 2023 तक आयोजित एमसीटीपी स्तर-3 के प्रशिक्षण में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विविध विषयों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के महानिदेशक द्वारा चर्चा और स्वागत संबोधन के साथ आरंभ हुई।

प्रतिभागियों ने भूमिका परिवर्तन की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने, व्यावसायिक एवं कूटनीतिक आचरण अपनाने और लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग के विशेषताओं में सुधार करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन अध्ययन किया।

दूसरे दिन आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ प्रभावी संचार, उन्नत लिखित संचार कौशल, प्रस्तुति कौशल और समय एवं तनाव प्रबंधन के लिए रणनीतियों पर बल दिया गया। कार्यक्रम में कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने, आंतरिक नियंत्रणों को समझने और धोखाधड़ी एवं फोरेंसिक जांच से निपटने के महत्व को भी जाना गया।

तीसरे दिन, प्रतिभागियों ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और इसके विशेषताओं के बारे में जाना। इस सत्र में ई-गवर्नेंस की जानकारी, केंद्रीय मिशन मोड परियोजनाएँ (एमएमपी), राज्य स्तर पर मिशन मोड परियोजनाएँ और एकीकृत मिशन मोड परियोजनाओं का अवलोकन शामिल था। प्रशिक्षण में टीम की ऊर्जा, टीम वर्क को बढ़ावा देने, सहमति बनाने और संघर्ष समाधान प्रविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चौथे दिन ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और पर्यावास हानि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय संकटों पर चर्चा करते हूए पर्यावरण शासन उपकरणों पर भी चर्चा की गई। वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों से प्रशासनिक और कानूनी मामलों से संबंधित विषयों तथा शासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन (जीआरसी) सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई।

पांचवें दिन हितधारक जुड़ाव सिद्धांतों, रूपरेखाओं और केंद्रबिंदु क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें प्रमुख चुनौतियों और उन्हें प्रबंधित करने की तकनीकों को रेखांकित किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए एक अध्ययन दौरा का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें कोलकाता के दमदम,

जेस्सोर रोड में स्थित आयुध निर्माण फैक्टरी, ले जाया गया।

छठे दिन प्रशिक्षण में सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों, उनके प्रकारों और प्रभावों को शामिल किया गया, जिसमें वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) अधिनियम की अंतर्दृष्टि भी शामिल थी। प्रशिक्षण का एक सत्र ओआईओएस पर था। प्रशिक्षण का समापन एक मॉक टेस्ट, प्रतिपुष्टि सत्रों और क्षे.क्ष.नि.व,ज्ञा.सं कोलकाता के महानिदेशक द्वारा संबोधन के साथ आरंभ हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों को विभिन्न सहयोगी कार्यालयों से आमंत्रित किया गया था तथा कुछ फ्रीलांस विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया था। संकाय सदस्यों में श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता, श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री ए. एस. लिंगराज नायक एस, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सुश्री पूनम कुल्हारी, उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य और जल संसाधन), नई दिल्ली, सुश्री दीप्ति बग्गा, उप लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, श्री तुफ़ान अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता , श्री अरिजीत घोष, फ्रीलांसर, सुश्री रितुन्शा लालवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रमाणित आंतरिक लेखापरीक्षक, मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक, सुश्री कंकना दास, विश्लेषक, वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल, और सुश्री तरनजीत कौर चौहान, आईसीबीआई में मुख्य सशक्तिकरण कोच शामिल थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सहित इन-हाउस संकाय सदस्यों के सहयोग से और समृद्ध बनाया गया, जिन्होंने पाठ्यक्रम के दौरान अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा किया।

श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (संकाय), क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं कोलकाता अपने सत्र एमसीटीपी स्तर-3 के दौरान

(ii) एमसीटीपी-स्तर-**2** का प्रशिक्षण **13** से **20** दिसंबर **2023** तक आयोजित किया गया।

एमसीटीपी स्तर-2 का प्रशिक्षण विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर न्यूनतम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। एमसीटीपी स्तर-2 का प्रशिक्षण 13 से 20 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ, इस प्रशिक्षण में लेखापरीक्षा और कार्यालयी कार्यों के क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विविध विषयों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के महानिदेशक ने प्रशिक्षुओं के स्वागत के साथ आरंभ किया। प्रतिभागियों ने मूल्यों के सामंजस्य पर गहनता से चर्चा की, जिसमें व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामुदायिक मूल्य भी शामिल थे इसके साथ ही व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में नैतिकता के बारे में जाना गया।

दूसरे दिन का मुख्य विषय समूह गतिशीलता, समूह विकास के सिद्धांत और संघर्ष समाधान की रणनीतियाँ थी। तीसरे दिन वित्तीय और पूंजी बाजार, वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के फॉर्म और सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों को शामिल

किया गया, जो लेखापरीक्षा की भूमिकाओं से संबंधित आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता हैं।

चौथे दिन प्रतिभागियों को भा.ले.व.ले.वि. की विस्तृत डाटा नीति, आईटी प्रणाली के जोखिमों और साइबर सुरक्षा संबंधी विचारों से अवगत कराया गया। पांचवें दिन प्रेरक सिद्धांतों, नैतिकता के विषयों को संबोधित किया गया, जिसमें कार्यस्थल में मानवीय गतिशीलता को जानने पर बल दिया गया।

छठे दिन पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास लक्ष्यों के 2030 के कार्यसूची का परिचय कराने वाले सत्रों को शामिल किया गया। कार्यालयी परिवेश में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को दर्शाने वाले ई-ऑफिस और ई-एचआरएमएस को शामिल किया गया। प्रशिक्षण का समापन मॉक टेस्ट, फीडबैक सत्र और महानिदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता के समापन संबोधन के साथ हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों को विभिन्न सहयोगी कार्यालयों से आमंत्रित किया गया था तथा कुछ विशिष्ट स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया था। सम्मानित संकाय सदस्यों में न्यायमूर्ति शांतनु गांगुली (सेवानिवृत्त), अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा, डॉ. कल्लोल दत्त, अपर श्रम आयुक्त (सेवानिवृत्त), पश्चिम बंगाल सरकार, श्री राज राजेश, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता, श्री श्रीराज अशोक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह), उड़ीसा, भुवनेश्वर, श्री नंदा दुलाल दास, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र, जयपुर, श्री राहुल बरुआ, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री देवजीत गोस्वामी, सहायक प्रोफेसर, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, श्री विकास कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री अरिजीत घोष, फ्रीलांसर, सुश्री रितुन्शा लालवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक, मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक, सुश्री तरनजीत कौर चौहान, मुख्य सशक्तीकरण कोच, आईसीबीआई शामिल थे।

पाठ्यक्रम को कुल 9.04 की रेटिंग प्राप्त हुई।

श्री राज राजेश, निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता एमसीटीपी लेवल-2 के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान

(घ) ज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023)

(i) 30 अक्टूबर से 03 नवंबर 2023 तक रेलवे खातों की लेखापरीक्षा और संचयी खातों की भूमिका पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

30 अक्टूबर से 03 नवंबर 2023 तक क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में रेलवे खातों की लेखापरीक्षा और संचयी खातों की भूमिका पर एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेखा परीक्षकों को रेलवे खातों के प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें संचयी लेखा प्रणाली में शामिल जटिलताओं पर जोर दिया गया था। देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, उनके वित्तीय लेनदेन को समझना और उनका लेखापरीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य लेखा परीक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाना था, जिससे रेलवे लेखांकन अनुपालन की व्यापक समझ सुनिश्चित हो सके और उन्हें संचयी खातों के सिद्धांतों से परिचित कराया जा सके।

लेखापरीक्षकों को व्यापक अंतर्दृष्टि और कौशल प्रदान करने के लिए "रेलवे खातों की लेखापरीक्षा और संचयी खातों की भूमिका पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के महानिदेशक द्वारा उद्घाटन के साथ हुई। इसके बाद, रेलवे खातों की रूपरेखा, संचयी पहलूओं और चालू खाता (राजस्व और पूंजी) की तैयारी सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बाद के दिनों में पुनर्विनियोजन, निधि लेखांकन, विवरणों और लेखापरीक्षा जांच से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने विभिन्न खातों, परिशिष्टों और विवरणों को तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल की, जिसमें व्यय लेखा खातों के अंतर्गत अनुदान शामिल हैं। बजट बनाने में कमियों को दूर करने और व्ययों के गलत वर्गीकरण को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया।

चौथे दिन प्रतिभागियों को एकीकृत पेरोल एवं लेखा प्रणाली (आईपीएएस) और भारतीय रेलवे के लेखा नियमों से परिचित कराया गया, जिसमें रेलवे बजट का अवलोकन प्रस्तुत किया गया। अंतिम दिन रेलवे लेखापरीक्षा की भूमिका और कार्यों, वित्त एवं विनियोग खातों के प्रमाणन और आईपीएएस के माध्यम से लेखापरीक्षा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन मॉक टेस्ट, फीडबैक सत्र और महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के समापन संबोधन के साथ हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री सतीश कुमार गर्ग, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, श्री कृष्ण कांत गोयल, एफए एवं सीएओ (बी.व.बी), भारतीय रेलवे, कोलकाता, सुश्री मीता रॉय, एएफए/बी.व.बी और पीएफए के सचिव, भारतीय रेलवे, श्री शंकर चट्टोपाध्याय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री अभिजीत रे, उप एफ.ए एवं सीएओ/कॉन-I, भारतीय रेलवे और श्री संभूजी बासु, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व रेलवे, कोलकाता जैसे बाहरी संकाय सदस्यों का एक सम्मानित पैनल शामिल था। । इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री रंजन दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे।

यह प्रशिक्षण इस उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया था कि लेखापरीक्षकों में संचयी लेखांकन सिद्धांतों और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन की गहन समझ विकसित हो। प्रतिभागियों ने बजट संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और गलत वर्गीकरण के विषयों को कम करने में दक्षता हासिल की जिससे रेलवे लेखापरीक्षा के गतिशील क्षेत्र में उन्होंने दक्षता हासिल की। पाठ्यक्रम के समग्र दृष्टिकोण और व्यावहारिक अभिविन्यास ने इसे लेखा परीक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन बना दिया है।

श्री सतीश कुमार गर्ग, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता रेलवे खातों की लेखापरीक्षा और संचयी खातों की भूमिका पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने सत्र के दौरान

(ii) *संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम)/केस स्टडीज की तैयारी*

"सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन से संबंधित पीआरआई की लेखापरीक्षा" के मामलों का अध्ययन किया गया और अनुमोदन के लिए मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया। तिमाही के दौरान "सीमित ऊंचाई वाले भूमिगत मार्ग के निर्माण और रखरखाव" पर केस स्टडी को मंजूरी दी गई। तिमाही के दौरान "कानूनी शुल्क के धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान" के केस स्टडी पर समकक्ष समीक्षा टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं और टिप्पणियों के निपटान के बाद, संशोधित केस स्टडी को मुख्यालय के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

"रेलवे के भंडार और स्टॉक की लेखापरीक्षा" पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया और अनुमोदन के लिए मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया था। मुख्यालय के निर्देशानुसार "ग्राम पंचायत और "जिला परिषद तथा पंचायत समिति की लेखापरीक्षा" पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल का विलय कर दिया गया और अनुमोदन के लिए मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया। "इंड-एएस" पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल पर समकक्ष समीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया है और संशोधित संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल को मुख्यालय के अनुमोदन के लिए

भेजा गया था और बाद में दिसंबर *2023* में इसे मुख्यालय ने अनुमोदित किया।

(ड़) सामान्य प्रशिक्षण (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023)

(i) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा **09** से **13** अक्टूबर ***2023*** तक आयोजित हुआ

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल हमारे देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अत्यधिक व्यावहारिक और तेजी से विकसित होता हुआ दृष्टिकोण बनकर उभरा है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, पीपीपी निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने का एक माध्यम हैं। हमारे देश के उच्च-स्तरीय विकास हेतु अपर्याप्त बुनियादी ढांचे को देखते हुए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों की क्षमता आवश्यक और वांछनीय है। बारहवीं योजना में अनुमानित निजी क्षेत्र की भागीदारी ग्यारहवीं योजना की तुलना में काफी अधिक रही। भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की मौजूदा स्थिति एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हालांकि, पीपीपी मॉडल के विकास में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें विनियमन और निजी क्षेत्र के लिए वित्त की उपलब्धता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। भारत सरकार ऐसी साझेदारियों से मिलने वाले लाभों को स्वीकार करती है और उसने इनमें से कुछ चुनौतियों से निपटने के लिए कदम भी उठाए हैं।

वर्तमान संदर्भ में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के बढ़ते दायरे और जटिलताओं को देखते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है। सीएजी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए सरकारी निधि के आवंटन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि इस प्रकार की भागीदारी महत्वपूर्ण निवेश और संभावित जोखिमों से जुड़ी होती है, इसलिए प्रभावी रूप से लेखापरीक्षा करना सार्वजनिक हितों की रक्षा करने, धन के सर्वोत्तम उपयोग का मूल्यांकन करने और पीपीपी कार्यान्वयन में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएजी द्वारा प्रदान की जाने वाली पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करती है कि पीपीपी परियोजनाएं राष्ट्रीय विकास में सकारात्मक योगदान करें, साथ ही वित्तीय परिमाण और विनियामक ढांचे का पालन करें।

पाठ्यक्रम संरचना में पूर्ण रूप से शिक्षण अनुभव प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अनुप्रयोग को सम्मिलित किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (क्षेक्षनिज्ञासं) कोलकाता के महानिदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों के हार्दिक स्वागत के साथ

आरंभ किया , जिसमें ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई। बाह्य संकाय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका पर एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन की संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय सहायता प्रणाली, नमूना रियायत करार (एमसीए) और राज्य सरकार की संस्थागत व्यवस्था के साथ-साथ आवश्यकता, उद्देश्य और पीपीपी की भूमिका को शामिल किया गया।

दूसरे दिन, पीपीपी लेखापरीक्षा के जनादेश, क्षेत्र और उसके उद्देश्यों का गहन विश्लेषण किया गया, इसके साथ ही, उससे संबंधित मामलों का अध्ययन भी किया गया, इससे प्रतिभागियों को पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित लेखापरीक्षा के स्वरूपो की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।

तीसरे दिन पीपीपी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों के अध्ययन पर चर्चा हुई, जिसमें 2016 में सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (पीएसयू) नंबर 1 में प्रकाशित जीएसआरटीसी पर चर्चा की गई। इस वास्तविक दुनिया के मामलों के अध्ययन ने प्रतिभागियों को लेखापरीक्षा सिद्धांतों को लागू करके पीपीपी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से आकलन और विश्लेषण करने में सक्षम बनाया।

चौथे दिन, कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना के अंतर्गत चलाए गए पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित केस स्टडीज पर विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही, पीपीपी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा पर एक पूरक केस स्टडी भी प्रस्तुत किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों के ज्ञान मे वृद्धि हुई और वे पीपीपी लेखापरीक्षा के विभिन्न परिदृश्यों के लिए तैयार हुए।

अंतिम दिन में पीपीपी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा पर एक और केस स्टडी तैयार की गई, जिससे व्यावहारिक चुनौतियों को विस्तृत रूप से समझा जा सका। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की सीखने की प्रगति का आकलन करने और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फीडबैक तथा अभ्यास परीक्षा का आयोजन किया गया।

विभिन्न विभागों से विशेषज्ञता प्राप्त बाह्य संकाय सदस्यों के विविध पैनल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को उल्लेखनीय रूप से समृद्ध बनाया। प्रमुख सहयोगियों में सुश्री देबोलिना ठाकुर, महानिदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता, श्री अनिल शुक्ला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, सुश्री अमृता सिंह, ओएसडी, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री तापस कुमार मंडल, महानिदेशक (सिविल), कोलकाता नगर निगम, श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, श्री सुभाष बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सुश्री के. एम. पटेल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), गुजरात, सुश्री के.आर. आशालता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना और श्री उमा शंकर एस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, चेन्नई। इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ने एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को पीपीपी संरचनाओं, वित्तीय प्रणालियों और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों ने मामलों के अध्ययन और चर्चाओं से व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जिससे पीपीपी परियोजनाओं को संचालित करने में उनकी दक्षता में वृद्धि हुई। कार्यक्रम को बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लेखापरीक्षा से जुड़ी जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए लेखापरीक्षकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पाठ्यक्रम का समग्र प्रतिफल स्तर 9.62 था।

श्री अनिल शुक्ला, संयुक्त सचिव और सुश्री अमृता सिंह, ओएसडी, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं पर लेखापरीक्षा प्रशिक्षण में अपने सत्र के दौरान

(ii) *16* से *20* अक्टूबर *2023* तक प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामलों के साथ-साथ कार्यालयी प्रक्रिया, विधि मामले और अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया भी आयोजित हुई।

प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामले, कार्यालयी प्रक्रिया, विधि मामले और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यह कार्यक्रम कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक और स्थापना संबंधी कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करता है। कार्यालयी प्रक्रियाओं को समझना दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू और कुशल ढ़ंग से समझने में मदद करता है। कानूनी मामले सरकारी काम का अभिन्न हिस्सा हैं और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने से सरकारी कर्मचारियों को कानूनी जटिलताओं से निपटने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही बनाए रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक है। इस क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्थापित प्रक्रियाओं तथा कानूनी रूपरेखा के तहत हो।

प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामलों, कार्यालयी प्रक्रिया, विधिक मामले और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पहलुओं का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान,कोलकाता के महानिदेशक ने किया, जिससे सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ।

पूरे प्रशिक्षण के दौरान, प्रतिभागियों ने प्रभावी कार्य प्रबंधन और आईटी परिवेश के महत्व पर जोर देते हुए कार्यालय प्रशासन और स्थापना की जटिलताओं को समझा। बजट प्राक्कलन (बीई) और उसका संशोधित प्राक्कलन (आरई), एसी, डीसी बिल तैयार करने और डीडीओ के कार्यो के बारे में जानकारी प्राप्त करने से प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षुओं को वित्तीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

दूसरे दिन का विषय सूचना का अधिकार अधिनियम रहा जिसमें सूचना का अनुरोध, निपटान प्रक्रिया और छूट जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया, जिससे प्रतिभागी इस महत्वपूर्ण कानून को समझने और उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम हो सके। साथ ही, कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण और एसएआई पोर्टल पर कार्य करना शामिल था।

तीसरे दिन प्रतिभागियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता, सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 और अनुशासनात्मक कार्यवाही का अध्ययन

किया, जिससे उन्हें नैतिक मानकों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं की व्यापक जानकारी प्राप्त हुई। जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद प्रक्रिया का भी विवरण दिया गया, जिससे प्रतिभागियों को सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

चौथे दिन विधि मामलो पर चर्चा की गई, जिसमें भा.ले.व.ले.वि के न्यायिक मामलों की जानकारी, पद-आधारित रोस्टर की भूमिका, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) और सेवा पुस्तकों के प्रबंधन को शामिल किया गया। इस सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को भा.ले.व.ले.वि की संरचना के अंतर्गत कानूनी पेचीदगियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करना था।

प्रशिक्षण का अंतिम दिन सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और मूल्यों पर आधारित था जिसने ईमानदारी और जवाबदेही के माहौल को बढ़ावा दिया। ओआईओएस और ई-एचआरएमएस पर हुई चर्चा ने लेखापरीक्षा और मानव संसाधन क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग पर एक दूरदृष्टि प्रदान की।

मॉक टेस्ट और फीडबैक सत्रों से प्रतिभागियों को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें आगे सुधार हेतु मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान हुई। क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान,कोलकाता के महानिदेशक ने इस व्यापक और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन को उत्कृष्ट बनाया।

जिन विशिष्ट बाह्य संकाय सदस्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध किया, उनमें सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सुश्री शैलजा खरे, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री उत्पल घोष, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री तुफान अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुभ्रा चक्रवर्ती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री तापस कुमार धर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी और श्री सुमन भद्र, सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ), कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह), पश्चिम बंगाल, कोलकाता।

कार्यक्रम की सफलता में सहयोग करने वाले इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे। उनके संयुक्त ज्ञान और कौशल ने प्रशिक्षण सत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रतिभागियों को व्यापक रूप से सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ।

पाठ्यक्रम का समग्र प्रतिफल स्तर 9.18 था, जो सरकारी कर्मचारियों की दक्षताओं को बढ़ाने, उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु इसकी प्रभावकारिता और महत्व की पुष्टि करती है।

सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कार्यालयी प्रक्रिया, विधि मामलों और अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामलों पर प्रशिक्षण सत्र के दौरान।

(iii) *18* से *22* दिसंबर *2023* तक भारतीय लेखा मानकों पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

भारतीय लेखा मानक (इंड-एस) पर आयोजित संगोष्ठी काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह प्रतिभागियों को भारतीय लेखा मानकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी और ज्ञान प्रदान करता है। प्रशिक्षुओं को भारतीय लेखा मानकों की जानकारी प्राप्त करने से लाभ होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2023 में, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता ने अपने प्रतिभागियों के कौशल और जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रतिभागी विकसित हो रहे लेखा मानकों से अपडेट रहें और प्रभावी रूप से अपना योगदान दें।

भारतीय लेखा मानक (इंड-ए.एस) पर आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण संगोष्ठी के माध्यम से आवश्यक विषयों को शामिल किया गया। पहला दिन भारतीय लेखा मानक-1, भारतीय लेखा मानक-7, भारतीय लेखा मानक-8 और भारतीय लेखा मानक-10 को शामिल किया गया, जिसमें वित्तीय

विवरण की प्रस्तुति, नकदी प्रवाह, लेखांकन नीतियां और रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं शामिल थीं। आगामी दिनों में, प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशिष्ट मानकों पर गहराई से विचार किया गया, जिनमें शामिल हैं - भारतीय लेखा मानक-2, 16, 23, 36, 115, 37, 38 और 116, ये मानक भंडार, माल संयंत्र और उपकरण, ऋण लागत, परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, राजस्व मान्यता, प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां, अमूर्त संपत्ति और लीज पर चर्चा की गई।

चौथे दिन का विषय था- भारतीय लेखा मानक-27, 34, 103 और 110, जिसके अंतर्गत विभिन्न वित्तीय विवरण, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग, व्यावसायिक संयोजन और समेकित वित्तीय विवरण शामिल हैं। अंतिम दिन भारतीय लेखा मानक- 24 और 20 से संबंधित पक्षों और सरकारी अनुदान पर चर्चा के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ।

जिन संकाय सदस्यों के विशिष्ट सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, उनमें श्री रोशन कुमार बजाज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई.सी.ए.आई, श्री अरिजीत चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री विवेक अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई.सी.ए.आई, आई.सी.एस.आई, श्री गोपाल जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंघी कंपनी, श्री फाल्गुनी बंद्योपाध्याय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता, श्री संतोष तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता और श्री प्रोसेनजीत सेन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), कोलकाता शामिल थे।

प्रतिभागियों ने इस संगोष्ठी से बहुत लाभ प्राप्त किया, इस संगोष्ठी से प्रतिभागियों को भारतीय लेखा मानकों (इंड.ए.एस) की गहन और सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हुई, साथ ही उन्होंने वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में जाना। संगोष्ठी के दौरान शामिल किए गए विषयों से समग्र और व्यावहारिक रूप से सीखने के अनुभव में विस्तार हुआ, जिससे प्रतिभागियों को अपनी व्यावसायिक भूमिकाओं को अपने ज्ञान से प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉक टेस्ट, फीडबैक सत्र को शामिल किया गया तथा इसका समापन क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के महानिदेशक के संबोधन के साथ हुआ। पाठ्यक्रम का समग्र प्रतिफल स्तर 9.13 था।

भारतीय लेखा मानकों पर आयोजित संगोष्ठी में अपने प्रशिक्षण सत्र के दौरान, श्री विवेक अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई, आईसीएसआई उपस्थित थे।.

(iv) *अन्य सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये*

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, अक्टूबर से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता में निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित हुए:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम और समय	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों के नाम		
		भा.ले.व.ले.वि. के अंतर्गत	भा.ले.व.ले.वि. के अतिरिक्त अन्य	क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता के इन-हाउस संकाय सदस्य
1	स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा (03 से 06 अक्टूबर, 2023)	1. श्री सुरेश कुमार एस, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार	श्री तापस सेनगुप्ता, निदेशक(सेवानिवृत्त), कार्यालय महानिदेशक	1. श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री चंदन कुमार, सहायक

		(लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 2. श्री इंद्रनील पाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 3. श्री अशेश्वर महतो, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला) 4. श्री देवदास बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 5. श्री मोलॉय मोहन दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), कोलकाता शाखा। 6. श्री राहुल चक्रवर्ती, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता	लेखापरीक्षा (पूर्व रेलवे), कोलकाता	लेखापरीक्षा अधिकारी

		7. श्री सुदीप्त पुरकैत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता		
2	अनुपालन लेखापरीक्षा (04 से 08 दिसंबर 2023)	1. श्री पुष्कर कुमार, महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह), बिहार, पटना 2. सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 3. मोहम्मद सुहैल फज़ल, उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पूर्व रेलवे), कोलकाता 4. श्री सतीश एम, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 5. श्री नीलमणि सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता 6. श्री विजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा	1. श्री विकास कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त)	1. श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

		अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग), कोलकाता शाखा। 7. श्री सुनील कुमार महतो, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता		
3	लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा साक्ष्य और लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग (26 से 28 दिसंबर 2023)	1. सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 2. श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 3. श्री सुब्रमण्यम एन.एन, निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता 4. श्री देवदास बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार	शून्य	1. श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

		(लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 5. श्री रविशंकर प्रसाद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता		

(च) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023)

(i) **एमएस एक्सेल की एडवांस प्रशिक्षण** 20 **से** 24 **नवंबर**, 2023 **तक आयोजित की गई।**

एमएस एक्सेल का उन्नत प्रशिक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षकों के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें कार्यालयी कामकाज और फील्ड ऑडिट के कार्यों के लिए आवश्यक उन्नत कौशल से लैस करता है। प्रबल विशेषताओं के साथ, लेखापरीक्षक डाटा विश्लेषण को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, जटिल गणनाओं को स्वचालित कर सकते हैं और डाटा विज़ुअलाइज़ेशन को बढ़ा सकते हैं। एमएस एक्सेल में उन्नत दक्षता प्राप्त लेखापरीक्षकों को विस्तृत डाटासेट को प्रबंधित करने, जटिल वित्तीय विश्लेषण करने और व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम बनाता हैं। इस एप्लिकेशन में निपुणता लेखापरीक्षा की सटीकता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय योगदान देती हैं, जो लेखा परीक्षकों के लिए अपने कार्यप्रवाह को अनुकूलित करने और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक अमूल्य उपकरण है। क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (क्षेक्षनिज्ञासं), कोलकाता ने हाल ही में एमएस एक्सेल का एडवांस प्रशिक्षण आयोजित किया, जो पांच दिनों तक चला, जिसमें कार्यालयी कार्यों और फील्ड लेखापरीक्षा में लेखा परीक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए विषयों की एक श्रृखला को शामिल किया गया। क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं. के महानिदेशक ने उद्घाटन समारोह में पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया, जिससे एक्सेल की उन्नत कार्यप्रणाली की विस्तृत रूपरेखा तैयार हुई।

प्रारंभिक सत्रों में एक्सेल में विविध फ़ाइल स्वरूपों को शामिल करने के लिए आवश्यक कौशल पर चर्चा की गई, जिसमें प्रभावी विश्लेषण के लिए डाटा स्वरूपण के महत्व पर जोर दिया गया। मौलिक सूत्रों का प्रयोग करके गणना की गई, जिसने आगामी

उन्नत विषयों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।

दूसरे दिन, आवश्यक एक्सेल कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया, इसके बाद SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS और CONCATENATE जैसे उन्नत कार्यों का गहन विश्लेषण किया गया। नेस्टेड के कार्यो और एरे फ़ार्मुलों के अध्ययन के साथ-साथ INDEX, MATCH और टेक्स्ट फ़ंक्शंस में विशेषज्ञता प्राप्त करने से लेखापरीक्षकों को जटिल डाटा प्रकलन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाया गया।

तीसरे दिन का विषयवस्तु डाटा सत्यापन, उन्नत फ़िल्टरिंग तकनीकों और जटिल मानदंडों के लिए उन्नत फ़िल्टर की भूमिका पर केन्द्रित था। DGET, DSUM और DCOUNT का प्रयोग करके लेखापरीक्षको को उन्नत डाटाबेस के बारे में पूछताछ करने में सक्षम बनाया गया, जिससे उनके डाटा विश्लेषण की क्षमताओं में वृद्धि हुई।

चौथे दिन, वेबसाइटों से टेबल को आयात करने और एक्सेल पिवोट टेबल के माध्यम से डाटा विश्लेषण को संबोधित किया गया। एक्सेल पावर क्वेरी की शुरूआत ने सफाई, सॉर्टिंग और डाटा फ़िल्टरिंग में शक्तिशाली दक्षताओं को सामने लाया। एक्सेल पावर क्वेरी का प्रयोग करके डाटा को जोड़ना और विलय करना लेखापरीक्षकों के कौशल को और समृद्ध बनाता है।

पांचवें दिन प्रशिक्षण का समापन व्यावहारिक केस स्टडीज से हुआ, जिनमें प्रतिभागियों ने जटिल डाटासेटों पर एक्सेल में समन्वेशी डाटा विश्लेषण (ईडीए) तकनीकों का प्रयोग किया। सीखने के अनुभव को दृढ़ करने के लिए एक संदेह-समाधान सत्र और एक अंतिम परीक्षा आयोजित की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम बाह्य और आंतरिक संकाय सदस्यों की उपस्थिति में समृद्ध हुआ। बाह्य संकाय सदस्यों में श्री हेमंत कुमार पाल, आईटी विशेषज्ञ, श्री अनिमेष देब रॉय, आईटी विशेषज्ञ और श्री देवर्षि भुवलका, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई शामिल थे। उनके व्यापक ज्ञान और अनुभव ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता और व्यापकता को प्रभावित किया।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सहित इन-हाउस संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता से लाभन्वित हुआ।

प्रशिक्षण के व्यावहारिक दृष्टिकोण का उद्देश्य लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा और कार्यालयी कार्य के लिए आवश्यक कौशल से सशक्त बनाना है। डाटा आयात करने और सफाई से लेकर उन्नत कार्यों के प्रयोग तक, प्रत्येक विषय ने डाटा विश्लेषण के एक विशिष्ट पहलू को प्रभावित किया, जिससे लेखापरीक्षको की मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उनकी भूमिकाओं में समग्र दक्षता बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि हुई। प्रतिभागियों द्वारा दिया गया 9.40 का उच्च प्रतिफल स्तर कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा बाह्य और आंतरिक संकाय सदस्यों के असाधारण योगदान का प्रमाण है।

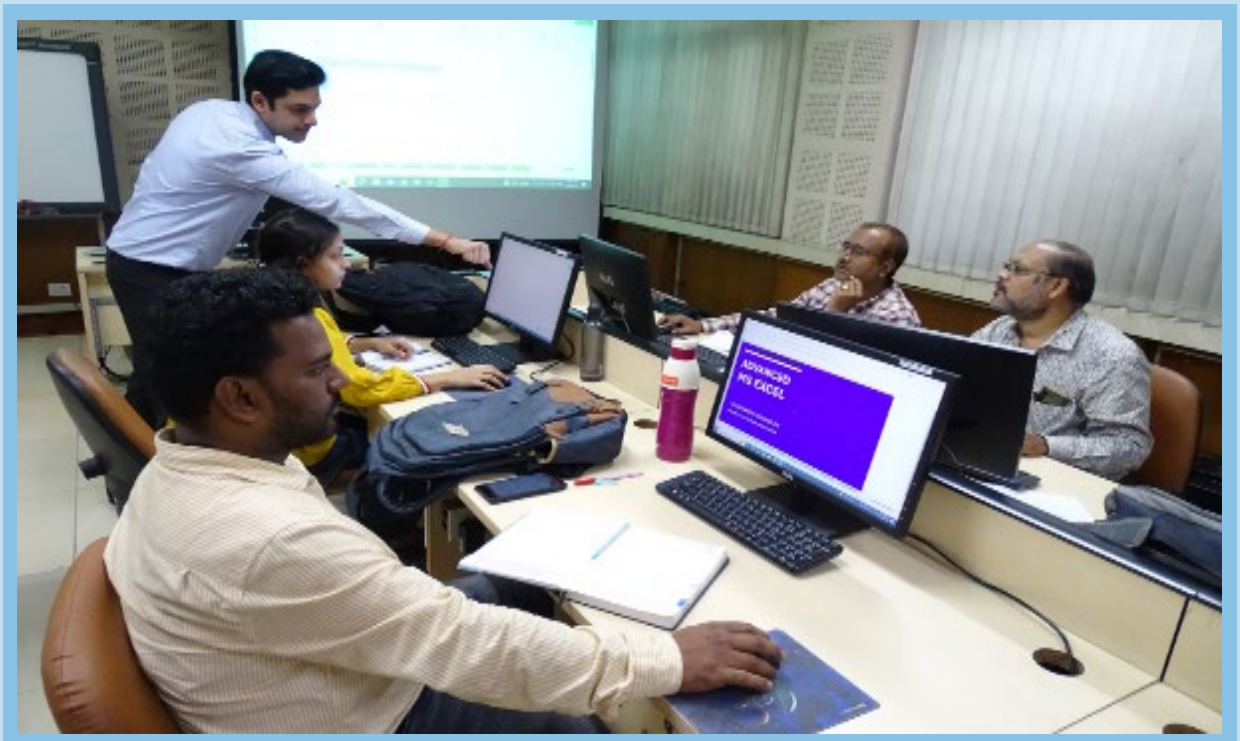

श्री देवर्षि भुवालका, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई एमएस एक्सेल के एडवांस प्रशिक्षण में अपने सत्र के दौरान।

(ii) पावर बीआई डेस्कटॉप से डाटा विश्लेषण का प्रशिक्षण 04 से 06 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया।

पावर बीआई डेस्कटॉप के माध्यम से डाटा विश्लेषण हमारे विभाग के लेखा परीक्षकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह उन्हें डाटा विज़ुअलाइज़ेशन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए उन्नत टूल से सशक्त बनाता है। पावर बीआई डेस्कटॉप जटिल डाटासेटों को आकर्षक दृश्यों में बदलने में लेखा परीक्षकों की मदद करता है, जिससे वित्तीय जानकारी, रुझानों और असंगतताओं की गहन समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। यह उपकरण वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके, प्रतिरूपों की पहचान करने और लेखापरीक्षकों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने में सहायक है। कार्यालय का काम हो या फील्ड लेखापरीक्षा, पावर बीआई डेस्कटॉप की क्षमताएं डाटा व्याख्या को सुव्यवस्थित करने में सक्षम हैं, जिससे यह उन लेखापरीक्षकों के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन जाती है जो अपने व्यावसायिक प्रयासों में डाटा विश्लेषण की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं।

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं), कोलकाता ने 4 से 6 दिसंबर, 2023 तक पावर बीआई डेस्कटॉप से डाटा विश्लेषण पर प्रशिक्षण का आयोजन किया। लेखापरीक्षा प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पावर बीआई की दक्षताओं का व्यापक रूप से प्रयोग करना इसके अंतर्गत शामिल हैं। पाठ्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रिय क्षमता निर्माण

एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के महानिदेशक ने किया। प्रशिक्षण की शुरुआत पावर बीआई और उसके घटकों के अवलोकन के साथ हुई। प्रतिभागियों ने पावर क्वेरी का प्रयोग करके डाटा आयात में विशेषज्ञता प्राप्त करने तथा डाटा रूपांतर और उसकी सफाई में कौशल हासिल करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास में भाग लिया।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन, प्रतिभागियों ने पावर क्वेरी में उन्नत डाटा रूपांतरण तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की, साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि प्रश्नों (क्वेरीज़) का प्रबंधन किस प्रकार कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। डाटा प्रतिरूपण में पावर पिवट का परिचय और इसकी निर्णायक भूमिका से जुड़े सत्र ने लेखा परीक्षकों को प्रभावी डाटा मॉडल बनाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस कर दिया। व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से, प्रतिभागियों ने पावर पिवोट का प्रयोग करके डाटासेट कॉलम को पिवोट और अनपिवोट किया।

तीसरे दिन का विषय था: डाटा को जोड़ना और मिलाना, इस दिन व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को विस्तृत रूप से समझाया गया। सत्र निर्बाध रूप से पावर बीआई में डाटा विज़ुअलाइज़ेशन में परिवर्तित हो गया, जिसमें दृश्य, चार्ट और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को बनाना शामिल था। प्रशिक्षण के अंत तक प्रतिभागी पावर बीआई डेस्कटॉप का प्रयोग करके डाटा को रूपांतरित करने, प्रतिरूप बनाने और विज़ुअलाइज़ करने में कुशल हो गए, जिससे उन्हें लेखापरीक्षा और कार्यालयी कार्यों को सुगम बनाने में सहायता मिली।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता में बाह्य और संस्थान के विषय-विशेषज्ञों के अमूल्य योगदान को सराहा गया, जिससे उनके सीखने के अनुभव वृद्धि हुई । बाह्य संकाय सदस्यों में श्री विकास कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) और मुख्यालय के सीडीएमए विंग से सलाहकार सुश्री निधि सेठी ने अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा किया, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके साथ ही, कार्यक्रम को श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सहित कुशल इन-हाउस संकाय सदस्यों के योगदान से लाभ हुआ।

प्रशिक्षण की अध्ययन सामग्री इस प्रकार बनाई गई थी कि लेखापरीक्षकों को ऐसे व्यावहारिक कौशल प्रदान किए जा सकें जिनका सीधा उपयोग उनकी लेखा परीक्षा और दैनिक कार्यालयी कार्यों में हो सके। डाटा आयात, सफाई और उन्नत विधियों के प्रयोग जैसे विविध पहलुओं को शामिल करते हुए, प्रत्येक मॉड्यूल का उद्देश्य डाटा विश्लेषण में प्रतिभागियों की दक्षता को बढ़ाना, उन्हें मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उनकी भूमिकाओं में समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए सक्षम बनाना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम कितना सफल रहा, इसका अंदाजा 9.36 की शानदार रेटिंग से ही लगाया

जा सकता है, जो कार्यक्रम की उत्कृष्टता तथा बाह्य और आंतरिक संकाय सदस्यों के असाधारण योगदान को दर्शाती है।

क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के संकाय सदस्य पावर बीआई डेस्कटॉप से डाटा विश्लेषण के प्रशिक्षण में अपने सत्र के दौरान

(iii) तिमाही के दौरान आयोजित अन्य आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपरोक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त, अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के आईएस विंग द्वारा निम्नलिखित आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम और समय	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों के नाम		
		भा.ले.व.ले.वि. के अंतर्गत	भा.ले.व.ले.वि. के अतिरिक्त अन्य	इन-हाउस संकाय सदस्य
1	एमएस एक्सेल, टेबलो और आइडिया से डाटा विश्लेषण (09 से 13 अक्टूबर 2023)	1. श्री सतीश एम, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 2. श्री सुप्रिय खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 3. श्री पवनजीत सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली 4. श्री सब्यसाची प्रधान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 5. सुश्री नीति सेठी, सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली	1. श्री विकास कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त)	1. श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

छ. उपयोगकर्ता कार्यालयों की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इन-हाउस प्रशिक्षण/बैठकों के संचालन के लिए उपयोगकर्ता कार्यालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया।

क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञां.सं, कोलकाता में दो आईटी लैब और एक सम्मेलन कक्ष है। संस्थान उपयोगकर्ता कार्यालयों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करता है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 की अवधि में, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं., कोलकाता की सहायता से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	उपयोगकर्ता कार्यालय का नाम
1	प्रधान महालेखाकार की उपस्थिति में इन-हाउस प्रशिक्षण एवं तिमाही सम्मेलन	18 से 20 अक्टूबर, 2023	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल
2	ओआईओएस पर इन-हाउस प्रशिक्षण	19 अक्टूबर, 2023	
3	ओआईओएस पर इन-हाउस प्रशिक्षण	20 अक्टूबर, 2023	

ज. उपयोगकर्ता कार्यालयों तथा भा.ले.व.ले.वि के बाह्य कार्यालयों को प्रशिक्षण दिया गया

किसी भी प्रशिक्षण संस्थान की उत्कृष्टता और गुणवत्ता का प्रदर्शन उनकी सबसे मूल्यवान संपदा संकाय सदस्य ही होते हैं। इसलिए प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सहायता और अवसर प्रदान किए जाएं। जब संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, साथ ही जब उन्हें इस विभाग और अन्य विभागों के कार्यालयों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाता है, तो उनका संस्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है।

इस दिशा में, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के संकाय सदस्यों को क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के बाह्य कार्यालयों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की तिथि	सत्रों की संख्या	जिस कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया	संकाय का नाम
1	यूएलबी का पुनरीक्षण और संदेह निवारण (ओआईओएस)	06 अक्टूबर, 2023	1	पीएजी (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
2	ई-ऑफिस	11 अक्टूबर 2023	1	भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
3	सूचना का अधिकार (आरटीआई) का अवलोकन	12 अक्टूबर, 2023	1		श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
4	ओआईओएस - संदेह निवारण सत्र	18 अक्टूबर 2023	1	पीएजी (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
5	"ओआईओएस" पर इन-हाउस प्रशिक्षण	19 अक्टूबर, 2023	1	पीएजी (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
6	पीएफएमएस, ईआईएस, आईबीईएमएस (ऑनलाइन)	06 दिसम्बर 2023	4	क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं., शिलांग	श्री मनीष कुमार वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

7	ओआईओएस टूलकिट का डाटा समेकन	20 दिसंबर, 2023	4	डीजीए (एसईआर), कोलकाता	श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

झ. प्रश्नोत्तरी

1. प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाने का मूल उद्देश्य क्या है?

क. सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन मनाने के लिए

ख. राष्ट्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए

ग. सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए

घ. देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को पुनः पुष्ट करने के लिए।

2. सीएजी कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थानांतरित होने से पहले किस भवन में स्थित था?

क. राष्ट्रपति भवन

ख. कपूरथला हाउस

ग. संसद भवन

घ. वाइसरीगल लॉज

3. भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत के सीएजी के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन कब किया था?

क. 2006

ख. 2008

ग. 2020

घ. 2021

4. माननीय उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1954 में मद्रास के एक कार्यक्रम में लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों को यह सलाह दी की।

"सत्ता के पदों पर बैठे लोगों को नाराज करने के डर से सत्य से पीछे न हटें।"

निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सलाह के सार को सबसे अच्छा सारांशित करता है?

क) " पेशेवर सत्यनिष्ठा पर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देंना

ख) संभावित परिणामों के बावजूद पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें।

ग) उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से विवाद करने से बचें।

घ) संगठन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विसंगतियों पर ध्यान न दें।

5. सीएजी का क्षेत्राधिकार किस वर्ष जम्मू-कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था?

क. 1947

ख. 1956

ग. 1958

घ. 1960

6. भारत के किस राष्ट्रपति ने 1954 में 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में सीएजी कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी थी?

क. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

ख. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

ग. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल

घ. श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन

7. 1950 की किस घटना ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

क. भारत की आजादी

ख. भारतीय संविधान का प्रख्यापन

ग. भारतीय कंपनी अधिनियम 1956

घ. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार

8. भारत सरकार अधिनियम की कौन सी धारा लेखापरीक्षा और लेखा खातों से संबंधित हैं?

क. धारा 165 से 170

ख. धारा 166 से 172

ग. धारा 166 से 171

घ. धारा 165 से 172

9. स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महालेखा परीक्षक कौन थे?

क. श्री वी. नरहरि राव

ख. श्री ए.के. रॉय

ग. श्री ए.के चंदा

घ. श्री एस रंगनाथन

10. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग औपचारिक रूप से कब स्थापित हुआ था?

क. 1750

ख. 1813

ग. 1857

घ. 1919

11. भारत में लेखापरीक्षा बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था, जिससे भारत सरकार के महालेखाकार को भारत के महालेखा परीक्षक के रूप में पुनः नामित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ?

क. 1858

ख. 1860

ग. 1862

घ. 1865

12. 26 मार्च 1858 को जारी वित्तीय संकल्पों में उल्लिखित भारत के महालेखा परीक्षक के पद के लिए प्रस्तावित वेतन क्या था?

क. 3000 रुपये

ख. 3500 रुपये

ग. 4000 रुपये

घ. 2500 रुपये

ञ. प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. **(घ)**
2. **(ख)**
3. **(ख)**
4. **(ख)**
5. **(ग)**
6. **(क)**
7. **(ख)**
8. **(ग)**
9. **(क)**
10. **(ग)**
11. **(ख)**
12. **(ख)**

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

तीसरा एमएसओ बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 5वीं मंजिल (ए विंग), डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक, सेक्टर - I, कोलकाता - 700064

दूरभाष नंबर: (033) 23213907/6708

ईमेल: rtikolkata@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest